

प्रेषक,  
लुटावन राम  
उप सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,  
निदेशक,  
संस्कृति निदेशालय, उ०प्र०,  
जवाहर भवन, लखनऊ।

**संस्कृति अनुभाग:**

**लखनऊ: दिनांक 12 जुलाई, 2018**

विषय:- माह जून, 2018 में क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र, झाँसी द्वारा लाला हरदोल के चरित्र पर कारायी जाने वाली कार्यशाला (नौटंकी) के आयोजन हेतु प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-723/ सं०नि०-15(5)/2018-19 दिनांक 14 जून, 2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि माह जून, 2018 में क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र, झाँसी द्वारा लाला हरदोल के चरित्र पर कारायी जाने वाली कार्यशाला (नौटंकी) के आयोजन हेतु रू० 70,000/- की प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त रू० 70,000/- (रूपये सत्तर हजार मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

- (1) उक्त स्वीकृति धनराशि का आहरण/ उपयोग नियमानुसार किया जायेगा। धनराशि आहरित करके बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी।
- (2) उक्त स्वीकृति धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा सम्पन्न कराये गये कार्यक्रमों पर व्यय विवरण, बिल बाउचर्स सहित उपलब्ध कराया जायेगा।

3- उक्त धनराशि हेतु रू० 70,000/- (रूपये सत्तर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-92- के अधीन लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति- 102 - कला एवं संस्कृति का संवर्धन-16-नये क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों की स्थापना -42अन्य व्यय में उपलब्ध धनराशि से वहन किया जायेगा।

भवदीय,  
(लुटावन राम)  
उप सचिव

संख्या- 101 /2018/ 1623 /चार-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ०प्र० इलाहाबाद।
- 2- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ०प्र० जवाहर भवन, लखनऊ।
- 3- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 4- प्रभारी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र झाँसी।
- 5- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग
- 6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
(लुटावन राम)  
उप सचिव

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।